मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-6

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

सोमवार, दिनांक 13 जुलाई, 2009 (आषाढ़ 22, 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री सुन्दरलाल उरैती, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये गए।

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन मंत्री, श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष, सर्वश्री रामलखन सिंह एवं पारस सकलेचा, सदस्यगण ने भी शोकोद्गार व्यक्त किये।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की एवं शोक संतप्तजन के प्रति संवेदना प्रकट की गई।

दिवंगत के सम्मान में पूर्वाह्न 10.37 बजे विधान सभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित होकर 10.42 बजे पुन: प्रारम्भ हुई।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 12 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 98 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 76 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए.

3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने श्योपुर जिले की उप तहसील वीरपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण कर चिकित्सक एवं दवाओं की व्यवस्था करने,

(2) श्री रामप्यारे कुलस्ते, सदस्य ने मण्डला जिले की नारायणगंज-देवरीकलां सड़क पर ग्राम मैली में पुल निर्माण करने,

(3) श्री मूल सिंह, सदस्य ने राघौगढ़, जिला गुना की दो सड़कों की मरम्मत कराने तथा

(4) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य ने जावरा क्षेत्र के ग्रामों की पेयजल समस्या का निराकरण करने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, ग्रामोद्योग मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का चौबीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा दिनांक 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिये पटल पर रखा।

(2) श्री नागेन्द्र सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम मर्यादित का द्वितीय वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 पटल पर रखा।

5. ध्यानाकर्षण

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री अजय सिंह "राहुल भैया", डॉ. प्रभुराम चौधरी, श्री रत्नेश सालोमन, श्री सुखदेव पांसे, सदस्यगण एवं श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में वन्य प्राणियों का सरंक्षण न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्य मंत्री, वन का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, वन ने इस पर वक्तव्य देना प्रारम्भ किया।

6. अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री वन द्वारा ध्यानाकर्षण के लिखित वक्तव्य में राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े एवं जानकारी पढ़ने पर चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य द्वारा आपत्ति व्यक्त करते हुए केवल मध्यप्रदेश की जानकारी मांगी गई। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि मंत्री जी का पूरा उत्तर सुनने के बाद माननीय सदस्यों को पूरक प्रश्न करने का अवसर दिया जाएगा।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, सदस्य द्वारा व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से मत व्यक्त किया गया कि सदन की यह स्पष्ट परम्परा है कि ध्यानाकर्षण सूचना पर मंत्री जी द्वारा जवाब के बाद ही माननीय सदस्यगण पूरक प्रश्न करते हैं, इसका पालन होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि ध्यानाकर्षण में यह मंत्री जी को अधिकार है कि उनको कैसे शासन का पक्ष रखना है, अतः मंत्री जी के उत्तर देने की सीमा नहीं बांधे। तत्पश्चात् माननीय सदस्यों को सर्वश्रेष्ठ प्रश्न पूछने का अधिकार सुरक्षित है, उन्हें बाद में अवसर दिया जायेगा।

7. ध्यानाकर्षण (क्रमशः)

श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, वन ने इस पर वक्तव्य पूर्ण किया तथा माननीय सदस्यगण द्वारा पूरक प्रश्न पूछे गये।

(श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर बहिर्गमन किया गया)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(2) सर्वश्री यशपाल सिंह सिसोदिया, गिरिजा शंकर शर्मा, अजय सिंह "राहुल भैया", ठाकुर दास नागवंशी, सदस्यगण ने प्रदेश के बी.एड. कालेजों को मान्यता न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्रीमती अर्चना चिटनीस, उच्च शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य ने भोपाल जिले के नेहरू नगर स्थित एस-380 से एस-390 के सामने खेल के मैदान से अतिक्रमण हटाने एवं उद्यान बनाये जाने,

(2) श्री पारस सकलेचा, सदस्य ने रतलाम जिले के -

(क) नगर के वार्ड क्रमांक 37 के बुरहानी मोहल्ला में ट्यूबवेल खनन किये जाने,
(ख) शहर के वार्ड क्रमांक 44 में सड़क नाली एवं सुलभ काम्पलेक्स निर्माण किये जाने,
(ग) शहर के वार्ड क्रमांक 44 की शासकीय डिस्पेंसरी में पुरूष एवं महिला डॉक्टर नियुक्त करने,
(घ) कसेरा बाजार के कच्चे नाले की खुदाई कराकर पक्का नाला बनाये जाने,
(ङ) शहर की सुनार बावड़ी प्राचीन कुंड का जीर्णोद्धार कराये जाने, तथा
(च) भोपाल शहर स्थित साऊथ टी.टी. नगर के शासकीय आवास गृह क्रमांक जी 74/1 से जी 74/10 तक टूटी हुई सीवेज लाईन ठीक कराये जाने,

(3) श्री भगत सिंह नेताम, सदस्य ने बालाघाट जिले के -

(क) मानेगांव विकास खण्ड बिरसा की आदिम जाति कल्याण विभाग की शासकीय हायर सेकेण्ड्री स्कूल में गणित एवं विज्ञान विषय प्रारंभ किये जाने,
(ख) ग्राम बीजाटोला विकासखण्ड विरसा में आदिम जाति कल्याण विभाग की शासकीय माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
(ग) ग्राम दमोह से सिंघनपुरी तक मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
(घ) ग्राम दीनाटोला में पेयजल हेतु नवीन नलजल योजना प्रारम्भ किये जाने,
(ङ) ग्राम खजरा में आदिम जाति कल्याण विभाग की शासकीय हाईस्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
(च) विकास खण्ड बैहर के पद्दी नाला नेवरगांव जलाशय एवं पचामा जलाशय का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ किये जाने,

सम्बन्धी याचिकाएं प्रस्तुत की।

9. वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा (भाषण अपूर्ण)

(अपराह्न 1.00 से 2.30 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा ने अपना भाषण पूर्ण किया।

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा
(3) श्री पारस सकलेचा "दादा"

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए.

(4) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(5) श्री उमाशंकर गुप्ता
(6) श्री अजय सिंह "राहुल भैया"
(7) श्रीमती नीता पटैरिया
(8) श्री हुकुम सिंह कराड़ा

(चर्चा अपूर्ण)

अपराह्न 5.01 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 14 जुलाई, 2009 (आषाढ़ 23, 1931) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.